13/5/25	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उक्त प्रकरण [illegible] वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर पत्रावली शामिल मिसल किया जाता है। पत्रावली नियम से फैसल हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2023/155

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:03:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

वाद संख्याः– 36/2023 (GCMS:- 2023/155) **दायरा दिनांकः– 13.02.2023**

–: अनवान :–

सत्यदेव पुत्र दलराम पुत्र भगवानाराम जाति सिद्व गोदारा निवासी बोलावाली तहसील सगंरिया जिला हनुमानगढ

......वादी

बनाम्

1. भगवानाराम पुत्र दुदनाथ पुत्र दुदाराम पुत्र केसरनाथ (स्वर्गवास)

1/1 मीरादेवी पत्नी श्री भगवानाराम
1/2 संतराम
1/3 राजाराम
1/4 श्योपतराम
1/5 कौशल्यादेवी
1/6 सुमित्रादेवी
} पुत्रगण व पुत्रिया भगवानाराम जाति सिद्व गोदारा निवासी बोलांवाली तहसील सगंरिया जिला हनुमानगढ

1/7 दलराम पुत्र भगवानाराम स्वर्गवास
1/7/1 सुलोचना पत्नी दलराम
1/7/2 रामीदेवी
1/7/3 विकास
} पुत्र व पुत्री दलराम
} जाति सिद्व गोदारा निवासी निवासी बोलांवाली तहसील सगंरिया जिला हनुमानगढ

1/8 पारीदेवी पुत्री भगवानाराम स्वर्गवासः–
1/8/1 विष्णु
1/8/2 जितेन्द्र
1/8/3 राजेन्द्रा
} पुत्रगण व पुत्री पारीदेवी जाति सिद्व गोदारा निवासी बोलांवाली तहसील सगंरिया जिला हनुमानगढ

2. रामेश्वर पुत्र रामरख स्वर्गवासः–

2/1 मनोहरीदेवी पत्नी रामरख
2/2 बलवंत
2/3 सीतादेवी
2/4 कमला
} पुत्र व पुत्रिया रामरख जाति सिद्व निवासी बोलांवाली तहसील सगंरिया जिला हनुमानगढ

2/5 इन्द्राज पुत्र रामेश्वर स्वर्गवासः–
2/5/1 तीजा देवी पत्नी इन्द्राज
2/5/2 दीपक
2/5/3 अजंनी
} पुत्र व पुत्रिया इन्द्राज
} जाति सिद्व निवासी बोलावांली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

3. चेतराम पुत्र रामरख स्वर्गवासः–

3/1 गोमतीदेवी पत्नी चेतराम जाति सिद्व निवासी बोलांवाली तहसील सगंरिया जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:03:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

3/2 विश्वा गोदारा
3/3 फूलाराम
3/4 भंवरीदेवी
3/5 द्रोपती देवी
3/6 केसर देवी
3/7 तेजल
3/8 लिछमा

पुत्रगण व पुत्रिया चेतराम जाति सिद्व निवासी बोलावाली तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ

4. भागीरथ पुत्र रामरख जाति सिद्व निवासी बोलांवाली तहसील सगंरिया जिला हनुमानगढ

5. लालुराम पुत्र सुखनाथ स्वर्गवास

5/1 गीता देवी
5/2 विद्यादेवी
5/3 बिरमादेवी
5/4 बलराम

पुत्रगण व पुत्रिंया लालुराम जाति सिद्व निवासीयान बोलांवाली तहसील सगंरिंया जिला हनुमानगढ

5/5 परमेश्वरी पुत्री लालुराम स्वर्गवास

5/5/1 गुरदयाल
5/5/2 बद्रीप्रसाद
5/5/3 साहबराम
5/5/4 कृष्ण
5/5/5 द्रोपती
5/5/6 चावली
5/5/7 सुशीला

पुत्रगण व पुत्रिया परमेश्वरी जाति सिद्व निवासी बोंलावाली तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ

5/6 सुरीयादेवी पुत्री लालुराम स्वर्गवासः–

5/6/1 हनुमान
5/6/2 प्रकाश
5/6/3 अमरावती
5/6/4 अखी

पुत्रगण व पुत्रिया सुरियादेवी जाति सिद्व निवासी बोलांवाली तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ

5/7 बाधुदेवी पुत्री लालुराम स्वर्गवास

5/7/1 रामगोपाल
5/7/2 तुलछादेवी

पुत्रगण व पुत्रियां बाधुदेवी जाति सिद्व निवासी बोलांवाली तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ

5/7/3 साहिल स्वर्गवास

5/7. मलीदेवी पुत्री लालूराम जाति सिद्ध निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।

6. मनीराम पुत्र लालूराम स्वर्गवास

6/1 नोजादेवी पत्नी मनीराम
6/2 मोहनलाल
6/3 ओमप्रकाश
6/4 रामेती
6/5 चावली
6/6 कृष्णा
6/7 सावित्री
6/8 विमला

पुत्रगण व पु[illegible]म जाति सिद्व निवासी बोलांवाली तहसील सगं[illegible] जि[illegible] हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:03:01 IST
Reason: SelfAttested

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता, वादी
2. श्री सन्तोष गोदारा, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/8/3
3. पैरोकार राज सूरतगढ़।

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 13.05.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि तहसील सूरतगढ के ग्राम कालुसर पटवार हल्का सोमासर भू0 अभि0 नि0 क्षेत्र सूरतगढ की जमाबन्दी चालू सवंत 2069 ता 2072 के खाता स0 181/181 के ख0 न0 273/91 मे 2.5300 है0 , 288/98 मे 2.0110है0, 297/198 मे 0.0130 है0 इस खाते की 4.5540 है0 बारानी भूमि वादी सत्यदेव एव प्रतिवादी न0 1/7/1 ता 1/8/3 के दादा/ससुर व नाना व प्रतिवादी न0 1/1 ता 1/6 के पति/पिता के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसी प्रकार रोही कालुसर की चालू जमाबन्दी संवत 2069 ता 2072 के खाता स0 125/125 मे रामेश्वर आदि के सयुक्त खाते मे प्रतिवादी न0 2 स्व0 रामेश्वर प्रतिवादी न0 3 स्व0 चेतराम व प्रतिवादी न0 4 के नाम से 5.5730 है0 1/3–1/3–1/3 व ब0 हि0 बराबर दर्ज है, प्रतिवादी न 2 रामेश्वर के स्वर्गवास हो जाने पर उनके जायज वारिस प्रतिवादी न0 2/1 से 2/5/3 को प्रतिवादी न0 3 चेतराम के स्वर्गवास हो जाने पर उनके जायज वारिस 3/1 से 3/8 को पक्षकार बनाये गये है, खातेदार भागीरथ जीवित है जो बतौर प्रतिवादी स0 4 पर पक्षकार है। इसी प्रकार प्रतिवादी न0 5 के पुत्र पुत्रियो के नाम से उक्तवर्णित सयुक्त खाते में 1.3520 है0 भूमि दर्ज है। प्रतिवादी न0 5/5 परमेश्वरी के स्वर्गवास हो जाने पर उसके वारिसों को बतौर प्रतिवादीगण न0 5/5/1 से 5/5/7 को प्रतिवादीगण न0 5/6 सुरीयादेवी के स्वर्गवास हो जाने पर उनके जायज वारिसो को बतौर प्रतिवादीगण 5/6/5/1 ता 5/6/5/2 को पक्षकार बनाये गये है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण न0 6/1 ता 6/8 के नाम से उक्त वर्णित सयुंक्त खाते मे 0.1680 है0 मे आठो का ब0हि0ब0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस खाता न0 125/125 मे भगवानाराम पुत्र दुदाराम के नाम से 7.092 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं जो वादी का दादा व प्रतिवादी न0 1/1 का पति 1/2 ता 1/6 पिता 1/7/1 ता 1/8/1 के नाना वारिस बतौर प्रतिवादी पक्षकार है। वाद पत्र मे दर्ज प्रतिवादी न0 1 स्व0 भगवानाराम ने रोही कालुसर के अपने [illegible] ग्राम कालुसर के तत्कालीन ख0 न0 91/3 की व 273/91 की 2.5300, 98 [illegible] अन[illegible]8/98 की 2.0110 है0 व ख0 न0 98/3 अन0 297/98 की 0.0130 है0 इस [illegible] कुल 4.5540 है0 बारानी व इसी ग्राम कालुसर के दूसरे सयुक्त खाते की [illegible] नाम से दर्ज हिस्सा ख0 न0 48 अब 203/48 की 12.0430 है0 बारानी मे अपने [illegible]ल हिस्से 7.0920 है0 बारानी खातेदारी स्वअर्जित भूमि को अपने चारो पुत्रो प्रतिवादी न0 1/2 सतंराम, 1/3 राजाराम, 1/4 श्योपतराम को 3/4 हिस्सा यानि प्रत्येक को 1/4–1/4–1/4 हिस्सा की शेष 1/4

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:03:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

हिस्सा की वसीयत दिंनाक 22.10.2021 को अपने मृत पुत्र 1/7 दलराम के दो पुत्रो वादी सत्यदेव व प्रतिवादी न0 1/7/3 विकास पुत्र दलराम को ब0 हि0 ब0 मे रोबरू गवाहान रामकुमार पुत्र प्रकाश व शंकरलाल पुत्र चुन्नीराम करवा दी गई। भगवानाराम का स्वर्गवास दिंनाक 28.09.2022 को हो जाने पर उनके द्वारा लिखी गई वसीयत प्रभावशील हो जाने से वादी वसीयत करवाने के कानूनी हकदार है व भगवानाराम द्वारा की गई वसीयत के मुताबिक उनके नाम की सारी भुमि मे 1/4–1/4–1/4–1/4 हिस्सा पर वसीयत वाले पक्षकार काबिज होकर काश्त कर रहे है जिसमे किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। सभी सहखातेदार दोनो खातो मे अपने अपने हिस्सा की भुमि पर वर्षो से अलग अलग काबिज होकर काश्त कर रहे है व कडी मेहनत करके भारी खर्चा लगाकर अपने अपने हिस्सा को वादी सहित कुछ सहखातेदारो ने भूमि को सुधारकर उपजाउ बनाया है व उसी अनुसार अपने कब्जा काश्त व सुधारी हुई भुमि का अन्य सहखातेदारो से अपन खाता अलग करवाना चाहते है। रोही ग्राम कालुसर के खाता स0 87/158 संवत 2045 मे ख0 न0 48 मे 47.12 बीघा मे 36 $\frac{1}{2}$ हिस्सा पुरानी जमाबन्दी संवत 2042 मे खसरा मे रकबा था जो लिपिकीय भूल से खसरा न0 48 कर दिया या हो गया जिसे अब ख0 न0 5 दुरूस्त किये जाने योग्य हे। इस कुल खाते मे 1/2 हिस्सा पर कब्जा व अधिपत्य है। वादी व अन्य प्रतिवादीगण जो स्वर्गीय भगवानाराम के प्रथम श्रेणी के वारिस है व जिनके पक्ष मे उनके द्वारा वसीयत करवायी गयी है, उस वसीयत अनुसार अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर उसी अनुसार डिक्री जारी करवाकर खातेदार भगवानाराम के स्थान पर मुताबिक वसीयत खातेदार दर्ज करवाने की डिक्री जारी की जावे जो कानूनसमत है। स्व0 भगवानाराम के स्वर्गवास हो जाने के बाद मे उनके सभी जायज वारिसो को कानूनी पक्षकार बनाये गये है। हांलाकि भगवानाराम ने अपनी समस्त जैरवाद भूमि की वसीयत कर दी थी परन्तु फिर भी उनके वारिसो को कानूनी पक्षकार बनाये गये है अन्य प्रतिवादीगण जिनका स्वर्गवास हो चुका है उनके वारिसो को पक्षकार बनाये गये है फिर भी कोई रह गया है या कोई मृतक का वारिस बनने का अपना हक जताता है तो उसे अदालत मे अपना पक्ष रखने की स्वतत्रंता है। वाद पत्र प्रस्तुती से 20 रोज पूर्व वादी ने श्रीमान तहसीलदार साहब सूरतगढ के समक्ष वसीयत की नकल साथ मे लगाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक वसीयत–वसीयत वाली भूमि का राजस्व रिकार्ड मे इन्तकाल वसीयत अनुसार किया जावे तो दिंनाक 12.01.2023 को तहसीलदार सूरतगढ ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया व वादी को कहा कि खाता बहुत बडा है वो इस प्रकार इन्तकाल नही करेगे। वादी चाहे तो उचित अदालत मे दावा प्रस्तुत करके अपना अनुतोष प्राप्त कर सकता हे। तहसीलदार जी की यह इनकारी ही मुख्य वाद कारण है। वादी एंव प्रतिवादीगण का संयुक्त खाता हैं कुछ रिकार्डेड खातेदारो का स्वर्गवास हो गया है। रकबा काश्त करने सुधारने, टयुबवैल लगाने च फवारा पद्वति से सिचांई करने के लिए पानी स्टोरेज के लिए पक्की डिग्गी बनाने व बीज खाद व भूमि सुधार के लिए ट्रेक्टर ट्राली व अन्य ओजार खरीदने के लिए बैंक आदि से ऋण प्राप्त करने मे भारी कठिनाइया आती है इसलिए भी वादी अपनी भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहता है। राज्य सरकार व माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा भी राजस्व न्यायालयो को यह निर्देश दिया गया है कि बडे बडे सयुक्त खातो का खाता विभाजन करवाने के लिए काश्तकारो को प्रेरित करे। उस भावना व नीति के अनुसार भी वादी का खाता विभाजन किया जाना उचित है। अतः वाद वादी प्रस्तुत करके निवेदन हैं कि वाद पत्र बाबत अनुतोष क ता ड़ अनुसार डिक्री किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:03:01 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/8/3 की तरफ से अधिवक्ता

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

श्री संतोष गोदारा द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। शेष प्रतिवादीगण बाजवूद तामील हाजिर नहीं आये इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण द्वारा अपना लिखित कथन जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया इसलिए उनका जवाबदावा दिनांक 29.05.2024 को बंद किया गया तथा पत्रावली में तनकीयात कायम की गई। वादी द्वारा अपने बयान साक्ष्यवादी शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिन पर वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं की गई इसलिए जिरह बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु रखी गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद पत्र वादी डिक्री योग्य हैं, वादी के वाद पत्र का प्रतिवादीगण द्वारा भी किसी प्रकार से प्रतिरोध नहीं किया है। इसलिए वाद पत्र वादी स्वीकार किया जावे। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा भी वाद पत्र को स्वीकार करने में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की।

बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किया। वाद पत्र का तनकीवार निर्णय इस प्रकार से हैं :–

तनकी न. 1 :– आया रोही ग्राम कालूसर तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी संवंत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 181/181 की 4.5540 हैक्टेयर व इसी गांव की रोही के खाता संख्या 125/125 की 12.0430 में दर्ज हिस्सा अनुसार वादी सत्यदेव का पिता स्व. भगवानाराम खातेदार कृषक था ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के साथ ग्राम कालूसर तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी 2069 ता 2072 के खाता संख्या 181/181 की 4.5540 हैक्टेयर व खाता संख्या 125/125 की 12.0430 हैक्टेयर की जमाबंदी प्रस्तुत की हुई हैं जिसके अनुसार वादी सत्यदेव का पिता स्व. भगवानाराम खातेदार साबित होता हैं इसलिए यह तनकी बहक वादी तय की जाती हैं।

तनकी न. 2 :–
आया वादी का पिता जैरवाद भूमि का मालिक था व उन्हें जैरवाद भूमि में दर्ज अपने हिस्सा की भूमि की वसीयत करने का कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त था ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार वादी का पिता भगवानाराम जैरवाद भूमि का मालिक साबित हैं तथा अपने हिस्सा की भूमि की वसीयत करने का कानूनी रूप से अधिकारी होने से यह तनकी भी बहक वादी तय की जाती हैं।

तनकी न. 3 :– आया स्व0 भगवानाराम द्वारा की गई वसीयत दिनांक 22.10.2021 के अनुसार उनकी मृत्यु के बाद जैरवाद भूमि में उनका जो हक था उसके मुताबिक वसीयत अनुसार वाद पत्र के अनुतोष ख के अनुसार खातेदार कृषक घोषित करवाने की डिक्री जारी करवाने के अधिकारी हैं ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। वादी द्वारा वसीयत दिनांक 22.10.2021 प्रस्तुत की। वसीयत में अंकित गवाह रामकुमार पुत्र प्रकाश निवासी बोलावाली तथा शंकरलाल पुत्र चुनीराम निवासी बोलावाली द्वारा जरिये शपथ पत्र वसीयत की पुष्टि की है। वसीयतकर्ता स्व. भगवानाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति वाद पत्र के साथ वादी द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। वादी द्वारा स्व0 भगवानाराम के सभी वारिसो को पक्षकार बनाया गया हैं जिनके द्वारा भी वाद पत्र का एतराज नहीं किया है इसलिए यह तनकी भी बहक वादी तय की जाती हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:03:01 IST
Reason: SelfAttested

तनकी न. 4 :– आया मुताबिक वसीयत वाद पत्र डिक्री होने के बाद वसीयत अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम व हिस्सा दर्ज होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी न. 1/2, 1/3, 1/4 व प्रतिवादी न. 1/7/3 विकास सिद्ध गोदारा का अन्य सहखातेदारों से खाता विभाजन

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

करवाने के हकदार होने से प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसील से खाता विभाजन का प्रस्ताव मंगवाकर खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं जो किया जावे?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। यह तनकी वाद पत्र में कायम तनकी न. 2 पर आधारित है। जैरवाद भूमि के वादी एवं प्रतिवादी न. 1/2 ता 1/4 व प्रतिवादी न. 1/7/3 स्व. भगवानाराम की भूमि मुताबिक वसीयत ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार होने से संयुक्त खाते की भूमि में अन्य सहखातेदारो के साथ सहखातेदार काश्तकार होने से एक सहखातेदार को संयुक्त खाते की भूमि को अन्य सहखातेदारों से नियमानुसार खाता विभाजन करवाने का कानूनी प्रावधान होने से यह तनकी भी बहक वादी व प्रतिवादी न. 1/1 ता 1/4 व 1/7/3 के पक्ष में निर्णीत की जाती हैं।

तनकी न. 5 :– अन्य अनुतोष ?

तनकी न. 1 ता 4 के निर्णय के अनुसार वादी व प्रतिवादी न. 1/2 ता 1/4 व 1/7/3 मुताबिक वसीयत उसमें वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के हकदार हैं व संयुक्त खाते की भूमि को अन्य सहखातेदारों से अपने हिस्सा की भूमि का खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं?

इसलिए उपर्युक्त विवेचन अनुसार वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम कालूसर पटवार हल्का सोमासर के खाता संख्या 125/125 में खसरा नम्बर 203/48 में 12.0430 बारानी कुल खाता 12.0430हैक्टेयर बारानी में खसरा नम्बर **203/48** के स्थान पर खसरा नम्बर **203/5** दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं तथा स्व. भगवानाराम पुत्र दुदनाथ के नाम की जैरवाद भूमि ग्राम कालूसर पटवार हल्का सोमासर तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी संवंत 2069–2072 के खाता संख्या 181/181 में खसरा नम्बर 273/91 में 2.5300 बारानी, 288/98 में 2.0110 बारानी, 297/98 में 0.0130 बारानी कुल खाता 4.5540 हैक्टेयर बारानी भूमि तथा इसी ग्राम कालूसर में संयुक्त खाता की भूमि खाता संख्या 125/125 में खसरा नम्बर 203/5(203/48) में 12.0430 बारानी कुल खाता 12.0430 हैक्टेयर बारानी मे स्व. भगवानाराम पुत्र दुदाराम/दूदनाथ का हिस्सा 7.092हैं. में खातेदार स्व. भगवानाराम वल्द दूदनाथ जाति सिद्ध सा. बोलावाली द्वारा की गई वसीयत दिनांक 22.10.2021 के आधार पर वादी सत्यदेव पुत्र दलराम तथा प्रतिवादी संख्या 1/7/3 विकास पुत्र दलराम को 1/4 हिस्सा में ब.हि.ब. तथा प्रतिवादी न. 1/2 संतराम पुत्र भगवानाराम, प्रतिवादी न. 1/3 राजाराम पुत्र भगवानाराम, प्रतिवादी न. 1/4 श्योपतराम पुत्र भगवानाराम तीनो को 3/4 हिस्सा में ब.हि.ब. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वादी द्वारा मांगे गये खाता विभाजन के अनुतोष अनुसार संयुक्त खाता की भूमि ग्राम कालूसर के खाता संख्या 125/125 में खसरा नम्बर 203/5(203/48) में 12.0430 बारानी कुल खाता 12.0430 हैक्टेयर बारानी मे स्व. भगवानाराम पुत्र दूदाराम/दूदनाथ का हिस्सा 7.092हैं. का खसरा नम्बर 203/5(203/48) के उतरी पासा में वसीयतग्रहितागण के कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन की स्वीकृति प्रदान करते हुए ग्राम कालूसर के खसरा नम्बर 203/5(203/48) में इनके हिस्सा अनुसार इस खसरा के उतरी पासा की भूमि 7.092 हैक्टेयर का खाता शेष सहखातेदारो से अलग करने का आदेश दिया जाता हैं। शेष सहखातेदारो का हिस्सा पूर्ववत् संयुक्त रूप से रहेगा। तहसीलदार सूरतगढ़ उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में संलग्न नक्शा अनुसार अंकन करने का आदेश दिया जाता हैं। परचा डिक्री नक्शा सहित जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–: अनवान :–

सत्यदेव पुत्र दलराम पुत्र भगवानाराम जाति सिद्व गोदारा निवासी बोलावाली तहसील सगंरिया जिला हनुमानगढ

......वादी

बनाम्

1. भगवानाराम पुत्र दुदनाथ पुत्र दुदाराम पुत्र केसरनाथ (स्वर्गवास)
   1/1 मीरादेवी पत्नी श्री भगवानाराम
   1/2 संतराम
   1/3 राजाराम
   1/4 श्योपतराम
   1/5 कौशल्यादेवी
   1/6 सुमित्रादेवी
   } पुत्रगण व पुत्रिया भगवानाराम जाति सिद्व गोदारा निवासी बोलांवाली तहसील सगंरिया जिला हनुमानगढ
   1/7 दलराम पुत्र भगवानाराम स्वर्गवास
   1/7/1 सुलोचना पत्नी दलराम
   1/7/2 रामीदेवी
   1/7/3 विकास
   } पुत्र व पुत्री दलराम
   } जाति सिद्व गोदारा निवासी निवासी बोलांवाली तहसील सगंरिया जिला हनुमानगढ
   1/8 पारीदेवी पुत्री भगवानाराम स्वर्गवासः–
   1/8/1 विष्णु
   1/8/2 जितेन्द्र
   1/8/3 राजेन्द्रा
   } पुत्रगण व पुत्री पारीदेवी जाति सिद्व गोदारा निवासी बोलांवाली तहसील सगंरिया जिला हनुमानगढ
2. रामेश्वर पुत्र रामरख स्वर्गवासः–
   2/1 मनोहरीदेवी पत्नी रामरख
   2/2 बलवंत
   2/3 सीतादेवी
   2/4 कमला
   } पुत्र व पुत्रिया रामरख जाति सिद्व निवासी बोलांवाली तहसील सगंरिया जिला हनुमानगढ
   2/5 इन्द्राज पुत्र रामेश्वर स्वर्गवासः–
   2/5/1 तीजा देवी पत्नी इन्द्राज
   2/5/2 दीपक
   2/5/3 अजंनी
   } पुत्र व पुत्रिया इन्द्राज
   } जाति सिद्व निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. चेतराम पुत्र रामरख स्वर्गवासः–
   3/1 गोमतीदेवी पत्नी चेतराम जाति सिद्व निवासी बोलांवाली तहसील सगंरिया जिला हनुमानगढ
   3/2 विश्वा गोदारा
   3/3 फूलाराम
   } पुत्रगण व पुत्रिया चेतराम जाति सिद्व निवासी बोलावाली तहसील सगंरिया जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:03:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

3/4 भंवरीदेवी
3/5 द्रोपती देवी
3/6 केसर देवी
3/7 तेजल
3/8 लिछमा
} पुत्रगण व पुत्रिया चेतराम जाति सिद्व निवासी बोलावाली तहसील सगंरिया जिला हनुमानगढ

4. भागीरथ पुत्र रामरख जाति सिद्व निवासी बोलांवाली तहसील सगंरिया जिला हनुमानगढ

5. लालुराम पुत्र सुखनाथ स्वर्गवास

5/1 गीता देवी
5/2 विद्यादेवी
5/3 बिरमादेवी
5/4 बलराम
} पुत्रगण व पुत्रिंया लालुराम जाति सिद्व निवासीयान बोलांवाली तहसील सगंरिंया जिला हनुमानगढ

5/5 परमेश्वरी पुत्री लालुराम स्वर्गवास

5/5/1 गुरदयाल
5/5/2 बद्रीप्रसाद
5/5/3 साहबराम
5/5/4 कृष्ण
5/5/5 द्रोपती
5/5/6 चावली
5/5/7 सुशीला
} पुत्रगण व पुत्रिया परमेश्वरी जाति सिद्व निवासी बोंलावाली तहसील सगंरिया जिला हनुमानगढ

5/6 सुरीयादेवी पुत्री लालुराम स्वर्गवासः—

5/6/1 हनुमान
5/6/2 प्रकाश
5/6/3 अमरावती
5/6/4 अखी
} पुत्रगण व पुत्रिया सुरियादेवी जाति सिद्व निवासी बोलांवाली तहसील सगंरिया जिला हनुमानगढ

5/7 बाधुदेवी पुत्री लालुराम स्वर्गवास

5/7/1 रामगोपाल
5/7/2 तुलछादेवी
} पुत्रगण व पुत्रियां बाधुदेवी जाति सिद्व निवासी बोलांवाली तहसील सगंरिया जिला हनुमानगढ

5/7/3 साहिल स्वर्गवास

5/7. मलीदेवी पुत्री लालूराम जाति सिद्ध निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।

6. मनीराम पुत्र लालूराम स्वर्गवास

6/1 नोजादेवी पत्नी मनीराम

6/2 मोहनलाल
6/3 ओमप्रकाश
6/4 रामेती
6/5 चावली
6/6 कृष्णा
6/7 सावित्री
6/8 विमला
} पुत्रगण व पुत्रिया मनीराम जाति सिद्व निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:03:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....**प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 207, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 36 वर्ष 2023 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री भागीरथ बिश्नोई व वकील प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/8/3 श्री सन्तोष गोदारा व पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम कालूसर पटवार हल्का सोमासर के खाता संख्या 125/125 में खसरा नम्बर 203/48 में 12.0430 बारानी कुल खाता 12.0430हैक्टेयर बारानी में खसरा नम्बर **203/48** के स्थान पर खसरा नम्बर **203/5** दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं तथा स्व. भगवानाराम पुत्र दुदनाथ के नाम की जैरवाद भूमि ग्राम कालूसर पटवार हल्का सोमासर तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी संवंत 2069–2072 के खाता संख्या 181/181 में खसरा नम्बर 273/91 में 2.5300 बारानी, 288/98 में 2.0110 बारानी, 297/98 में 0.0130 बारानी कुल खाता 4.5540 हैक्टेयर बारानी भूमि तथा इसी ग्राम कालूसर में संयुक्त खाता की भूमि खाता संख्या 125/125 में खसरा नम्बर 203/5(203/48) में 12.0430 बारानी कुल खाता 12.0430 हैक्टेयर बारानी मे स्व. भगवानाराम पुत्र दुदाराम/दूदनाथ का हिस्सा 7.092हैं. में खातेदार स्व. भगवानाराम वल्द दूदनाथ जाति सिद्ध सा. बोलावाली द्वारा की गई वसीयत दिनांक 22.10.2021 के आधार पर वादी सत्यदेव पुत्र दलराम तथा प्रतिवादी संख्या 1/7/3 विकास पुत्र दलराम को 1/4 हिस्सा में ब.हि.ब. तथा प्रतिवादी न. 1/2 संतराम पुत्र भगवानाराम, प्रतिवादी न. 1/3 राजाराम पुत्र भगवानाराम, प्रतिवादी न. 1/4 श्योपतराम पुत्र भगवानाराम तीनो को 3/4 हिस्सा में ब.हि.ब. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वादी द्वारा मांगे गये खाता विभाजन के अनुतोष अनुसार संयुक्त खाता की भूमि ग्राम कालूसर के खाता संख्या 125/125 में खसरा नम्बर 203/5(203/48) में 12.0430 बारानी कुल खाता 12.0430 हैक्टेयर बारानी मे स्व. भगवानाराम पुत्र दूदाराम/दूदनाथ का हिस्सा 7.092हैं. का खसरा नम्बर 203/5(203/48) के उतरी पासा में वसीयतग्रहितागण के कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन की स्वीकृति प्रदान करते हुए ग्राम कालूसर के खसरा नम्बर 203/5(203/48) में इनके हिस्सा अनुसार इस खसरा के उतरी पासा की भूमि 7.092 हैक्टेयर का खाता शेष सहखातेदारो से अलग करने का आदेश दिया जाता हैं। शेष सहखातेदारो का हिस्सा पूर्ववत् संयुक्त रूप से रहेगा। तहसीलदार सूरतगढ़ को उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में संलग्न नक्शा अनुसार अंकन करने का आदेश दिया जाता हैं।

नोज.......... × ....मुकलिफ........ × ....बाबत........×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ...... × .... फस्दो की ...ल........ ×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 13.05.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:03:01 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)